–

प्रेस नोट दिनांक 30.10.2020

सराहनीय कार्य जनपद बागपत

➢ **सोषल मीडिया प्लेटफार्म (फेसबुक) पर लडकी के नाम से फर्जी आईडी बनाकर फोटो अपलोड करने वाला आरोपी गिरफ्तार।**

घटना का संक्षिप्त विवरण :–

दिनांक 29.10.2020 को वादी अलीहसन पुत्र रफीक निवासी ग्राम किषनपुर थाना रमाला ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की पुत्री के नाम से फेसबुक की फर्जी आईडी बनाकर उसके फोटो अपलोड किये गये। जिसके सम्बन्ध में थाना रमाला पर मु0अ0सं0–189/2020 धारा 419 भादवि व 66डी आईटी एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही :–

मिषन षक्ति अभियान के अर्न्तगत महिलाओं के विरूद्व अपराधों पर रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक जनपद बागपत द्वारा उक्त प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेते हुए साईबर सैल टीम व थाना रमाला पुलिस को जांच उपरान्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर साइबर सेल टीम द्वारा जांच के उपरांत अभियुक्त आसिफ पुत्र ईनाम निवासी ग्राम किषनपुर थाना रमाला जनपद बागपत का नाम प्रकाश में आया। आज दिनांक–30.10.2020 को साईबर सैल टीम व थाना रमाला पुलिस द्वारा ग्राम किषनपुर से अभियुक्त आसिफ पुत्र ईनाम उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से अपराध में संलिप्त मोबाइल फोन बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त को नाम व पता :–

1–आसिफ पुत्र ईनाम निवासी ग्राम किषनपुर थाना रमाला जनपद बागपत।

बरामदगी :–

1–अपराध में संलिप्त एक मोबाईल फोन।

➢ **थाना बिनौली क्षेत्रार्न्तगत जंगल ग्राम गल्हैता में युवक की हत्या में नामित 03 अभियुक्त गिरफ्तार।**

घटना का संक्षिप्त विवरणः–

दिनांक 12.10.2020 को वादी सुन्दर पुत्र मेहरचन्द निवासी ग्राम चिरचिटा थाना सिंघावली अहीर ने थाना आकर लिखित सूचना दी कि अभियुक्तो द्वारा एक राय होकर प्रधानी की रंजिष को लेकर प्रार्थी के भाई पवन उम्र करीब 35 वर्ष की हत्या कर शव को जंगल ग्राम गल्हैता में अमरूद के पेड पर लटका दिया है। जिसके सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0स0 287ध्2020 धारा 147,302,504,201 भादिव बनाम 1–ब्रहमपाल पुत्र खचेडू 2–पप्पू पुत्र खचेडू 3–दीपक उर्फ भूले पुत्र दयाराम 4–मनोज पुत्र बलवीरा 5–अनिल पुत्र धर्मी निवासी गण ग्राम चिरचिटा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत पंजीकृत किया गया।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही :–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत महोदय एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक बागपत महोदय के आदेशानुसार श्रीमान क्षेत्राधिकारी बागपत के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 30.10.2020 को सुबह समय करीब 05:00 बजे मुखबिर की सूचना पर 1–मनोज पुत्र बलजीत 2–दीपक उर्फ भुल्ले पुत्र दयाराम 3–अनिल पुत्र धर्मी निवासी ग्राम चिरचिटा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम व पताः–

1–मनोज पुत्र बलजीत निवासी ग्राम चिरचिटा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
2–दीपक उर्फ भुल्ले पुत्र दयाराम निवासी ग्राम चिरचिटा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपतं
3–अनिल पुत्र धर्मी निवासी ग्राम चिरचिटा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

पूछताछ पर प्रकाश में आये तथ्य :–

पूछताछ पर अभियुक्तो ने बताया कि दिनांक 08.10.2020 को ब्रहमपाल व पप्पू पुत्र गण खचेडू मेरे व मेरे चचेरे भाई दीपक उर्फ भूल्ले पुत्र दयाराम कश्यप व मनोज पुत्र बलजीत के पास आये और हमें साथ लेकर सुन्दर पुत्र मेहरचन्द के घर प्रधानी के चुनाव मे वोट लेने के लिये गये थे लेकिन सुन्दर के परिजनो ने वोट देने से मना कर दिया था । इसी बात पर ब्रहमपाल व पप्पू से सुन्दर व सुन्दर के पिता मेहरचन्द की कहा सुनी हो गयी और ब्रहमपाल व पप्पू ने सुन्दर व सुन्दर के परिवार को देख लेने की धमकी दी थी और अपने पक्ष मे वोट देने के लिये दबाव बनाया था ब्रहमपाल व सुन्दर पक्ष मे पहले भी लडाई झगडा होता रहा हैं। इसके बाद हम लोग वहा से चले आये थे । ब्रहमपाल व पप्पू ने योजना बनायी थी और हमें बताया था कि इनमे से किसी एक को निपटा दिया जाये तो दबाव मे आकर ये लोग हमें वोट दे सकते है। हम लोगों ने भी हाँ कर दी थी हम लोग भी मौके की तलाश में थे। ब्रहमपाल व पप्पू मनोज व दीपक उर्फ भुल्ले व मैंने मिलकर पवन को निपटाने की योजना बनायी थी । दिनांक 11.10.2020 को दिन मे पवन ने बहुत शराब पी रखी थी और नशे की हालत मे जंगल में खेतो पर गिरता पडता घूम रहा था, तो हम लोगो को पता चला तो मै व ब्रहमपाल व पप्पू व मनोज व दीपक उर्फ भूल्ले जंगल मे खेतो पर पहुँच गये और पवन को पकड लिया और इधर उधर ईखों मे रखे रखा चूँकि दिन में लोग खेतों में काम कर रहे थे शाम के समय जब लोग खेतों से काम करके अपने–अपने घर चले गये तो हम सभी ने मिलकर रात्री में पवन की गर्दन मे उसी की चुन्नी बांधकर उसे अमरुद के पेड पर लटका दिया। हमने उसे पेड पर इसलिए लटकाया था कि जिससे उसके परिवार वाले समझे की उसने आत्महत्या कर ली है।

- **आबकारी अधिनियम के अर्न्तगत 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 गाडी मय 20 पेटी व 40 पव्वा देषी षराब नाजायज बरामद।**

थाना बागपत–पुलिस व आबकारी विभाग टीम द्वारा दिनांक 29.10.2020 को क्रिस्ट ज्योति पब्लिक स्कूल के पास से अभियुक्त 1–सतेन्द्र पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से षेवरले एविया नम्बर डीएल–7सीई–7405 मय 10 पेटी देषी षराब हरियाणा मार्का व दिल्ली सहारनपुर रोड केनरा बैंक के पास से अभियुक्त 1–आषीष पुत्र षिवरतन निवासी गोला बाजार मैनपुरी 2–अमन पुत्र धर्मवीर निवासी नई सीमापुरी दिल्ली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से एक गाडी हुण्डई जेस्ट नम्बर डीएल–7सीजे–0394 मय 10 पेटी देषी ष्षराब हरियाणा मार्का नाजायज बरामद की गई। अभियुक्तो के विरूद्व थाना बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना बिनौली–पुलिस द्वारा दिनांक 29.10.2020 को जंगल ग्राम बुढेडा से अभियुक्त 1–सूरजपाल पुत्र चेतराम निवासी ग्राम बुढेडा थाना बिनौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 40 पव्वे देषी षराब यूपी मार्का नाजायज बरामद की गई। अभियुक्त के विरूद्व थाना बिनौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **थाना बडौत पुलिस द्वारा बाल अपचारी सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 7100 रूपये व 01 तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद।**

थाना बडौत–पुलिस द्वारा पषु पैठ बावली चुंगी से मु0अ0स0 793/2020 व 840/2020 धारा 457,380,411 भादवि में वाछित अभियुक्त 1–बाल अपचारी 2–षाहरूख पुत्र ताजमौहम्मद निवासी मौ0 पठानकोट कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 01

तमंचा 315 बोर 02 जिन्दा कारतूस व चोरी के 7100 रूपये नाजायज बरामद किये गये। अभियुक्तो के विरूद्ध थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➢ **जनपद बागपत पुलिस द्वारा 05 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

थाना बडौत–पुलिस द्वारा दिनांक 29.10.20 को बावली चुंगी से मु0अ0स0 811/2020 धारा 323,324,307,506,325 भादवि में वाछित अभियुक्त 1–राजीव पुत्र जयप्रकाश निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस नाजायज बरामद व मु0अ0स0 741/2020 धारा 354क,504,506 भादवि में वाछित अभियुक्त 2–कुलदीप पुत्र जगमेहर निवासी पटेलनगर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत किया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना बागपत–पुलिस द्वारा दिनांक 30.10.20 को मु0अ0स0 290/2020 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम में वाछित अभियुक्त 1–कामिल पुत्र नफीष 2–नईम पुत्र नफीष निवासी मौ0 मुगलपुरा कस्बा व थाना बागपत को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना रमाला–पुलिस द्वारा दिनांक 30.10.20 को बिराल चौराहा से मु0अ0स0 187/2020 धारा 498ए,323,504,506,328 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वाछित अभियुक्त 1–आषीष पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम बिराल थाना रमाला जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।